5/16 पत्रावली पेश प्रार्थी उप० है पैरोकार
सरकार द्वारा जवाब पेश किया शा०
पत्रावली है।
प्रार्थी एवं पैरोकार को सुना गया
पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन
किया गया। संवत 2054-57
की जमाबंदी में मैक डा० तारांचंद
के खाते में २०।२ भूमि दर्ज है।
नामा० नं० २८९ से मैक के स्थान
पर घासीलाल कुजलीराम लालचंद
हि० 3/4 तथा शिवराज मोहन पुत्र
संतोषबाई, सुमित्राबाई पुत्री व ओंकारी
बाई बेवा माँगीलाल 1/4 हिस्सा
समभाग दर्ज है साथ ही साथ नामा० (P.T.O.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	नं० 300 से व्यौंसी के 1/4 हिस्से में से 4/5 हिस्सा प्रार्थी के नाम पर दर्ज किया गया।	
	इस प्रकार अप्रार्थी नं. 1 अपना 1/4 में से 4/5 हिस्सा प्रार्थी को पूर्व में ही बेचान कर चुका है। इस प्रकार लालचंद व कुलसीराम का हिस्सा 1/2 रहता है। जो दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का हिस्सा 4/20 रहता है तथा अप्रार्थी नं. 1 का हिस्सा 1/20 अवशेष रहता है। अप्रार्थी नं० 4 से 8 का हिस्सा 1/4 रहता है।	
	इस प्रकार बाद बन्दोबस्त साबिक ख० नं० 2 रकबा 20।)2 के हाल नं० 6 रकबा 3.29 हेक्टर पर हिस्सा त्रुटिपूर्ण दर्ज हो जाना प्रकट होता है।	
	बन्दोबस्त विभाग द्वारा किया गया उक्त कार्य उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रार्थी को वाँछित अनुतोष का अधिकारी पाया जाता है।	
	—क्रमश:—	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हुक्म	प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचारण के उपरान्त प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है, कि ग्राम सोहनपुरा के हाल ख० नं० 6 रकबा 3.21 हैक्टर पर खातेदारान के हिस्से निम्न प्रकार दुरुस्त किये जावें। लालचन्द, तुलसीराम पुत्र भैरू हि० 1/2 शिवराज, मोहन पुत्र मांगीलाल, संतोष बाई, प्रमिलाबाई पुत्रियां मांगीलाल, ओंकारीबाई धर्मपत्नी स्व० मांगीलाल हि० 1/4 समभाग, घांसीलाल पुत्र भैरू हि० 1/20, भवाना पुत्र उदा हि० 1/20 जाति धाकड़ बकाया अंकन यथावत रहेगा। राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। निर्णय आज दि० 17.5.2016 को राजस्व लोक अदालत में सुनाया। (चिन्मयी गोपाल) I.A.S. प्रशिक्षु S.D.O. रामगंजमण्डी	